न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/04/2025	2025/118	06.02.2025	18.07.2025

1. हंसराज पुत्र श्री मदनसिंह जाति जाट निवासी ग्राम रानोता तहसील कठूमर जिला अलवर।

——अपीलान्ट।

बनाम

1. रमेश मीना पुत्र लल्लू जाति मीना निवासी रानोता तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

——असल रेस्पोडेन्ट

2. युवराज पुत्र श्री हंसराज जाति जाट निवासी ग्राम रानोता तहसील कठूमर जिला अलवर।
3. सुन्दर पुत्र श्री मदनलाल जाति जाट निवासी ग्राम रानोता तहसील कठूमर जिला अलवर।
4. अजय पुत्र श्री सुन्दर जाति जाट निवासी ग्राम रानोता तहसील कठूमर जिला अलवर।

तरतीबी रेस्पोडेण्ट्स

अपील राजस्व विरूद्ध आदेश दिनांक 30.12.2024 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी. एक्ट न्यायालय तहसीलदार कठूमर, जिला अलवर (राज0)।

उपस्थितः—

1. श्री अमरचन्द चौधरी —वकील अपीलाण्ट
2. श्री दशरथ सिंह नरूका —वकील रेस्पोडेण्ट

—:: निर्णय ::—

वकील अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कठूमर के आदेश दिनांक 31.12.2024 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी. एक्ट के विरूद्ध पेश की है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस अपने कृषि, घरेलू व अन्य कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहते हैं, इसलिए मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस को उनके वकील साहब ने आश्वासन एवं विश्वास दे रखा था, कि तहत अदालत में विचाराधीन मुकदमा में हर पेशी पर आने की जरूरत नही हैं, वकील साहब मुकदमा की पैरवी करतें रहेगें, तथा अतिआवश्यकता होने पर सूचना भेजकर बुला लेगें, इसलिए मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस दिनांक 30—12—2024 को नेकनियति व सदभावनापूर्वक तहत अदालत में उपस्थित नही थें, मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस के वकील साहब उपस्थित थें। काफी समय से मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस को उनके वकील साहब द्वारा मुकदमें की कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी नही दी गई, इसलिए आलोच्य निर्णय न्यायालय तहसीलदार तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान दिनांक 30—12—2024 की पूर्व में कोई जानकारी मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस को नही थी। इस कारण से हम समयावधि में अपील पेश नही कर सके, जिसमें हमारी कोई लापरवाही या बदयान्ती नही रही हैं। अब मिन अपीलान्ट ने दिनांक 30—01—2025 को अपने वकील साहब से सम्पर्क किया, और मुकदमा की कार्यवाही की जानकारी की, तो मिन अपीलान्ट को उसके वकील साहब ने तहत अदालत के उक्त आलोच्य निर्णय दिनांक 30—12—2024 की जानकारी दी, तथा उक्त आलोच्य निर्णय दिनांक 30—12—2024 के खिलाफ न्यायालय श्रीमान में अपील पेश करने की कानूनी राय दी। जानकारी होने पर मिन अपीलान्ट ने दिनांक 30—01—2025 को नकल के लिए प्रार्थनापत्र तहत अदालत में पेश किया, जो नकल दिनांक 30—01—2025 को तैयार होकर दिनांक 30—01—2025 को सायंकाल प्राप्त हुयी। दिनांक 31—01—2025 को मिन अपीलान्ट ने अलवर

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

राजस्थान आकर नकल व कागजात वकील साहब को दिखाकर कानूनी राय ली। उसके बाद दिनांक 01–02–2025 से अपील हेतु आवश्यक खर्चे का इंतजाम कर वकील साहब से अपील आदि तैयार कराकर सर्वप्रथम तारीख जानकारी 30–01–2025 से अपील बिना देरी के अन्दर अवधि अदालत श्रीमान में पेश की जा रही हैं। जहां निर्णय आरम्भ से ही अवैध वो शून्य हों, वहां मियाद का बिन्दू गौण हो जाता हैं, ऐसे निर्णय को न्यायहित में कभी भी चेलेन्ज किया जा सकता हैं, मियाद की कोई पाबन्दी नही हैं, ऐसा विधि का सुस्थापित सिद्वान्त हैं। इसलिए मियाद के बिन्दू पर नरम रूख अपनाकर आलोच्य निर्णय तहत अदालत दिनांक 30–12–2024 से सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 30–01–2025 तक का जो समय व्यतीत हुआ हैं, वह मिन अपीलान्ट को उक्त आलोच्य निर्णय की जानकारी नही होने के कारण व्यतीत हुआ हैं, जो कि नेकनियती वो युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने से काबिल माफी तथा मियाद में मुजरा दिए जाने योंग्य हैं। जिस हेतु प्रार्थनापत्र जेर दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हलफनामा अलग से अदालत श्रीमान में पेंश किया जा रहा हैं।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि असल रैस्पाडैन्ट ने अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस के खिलाफ आराजी खसरा नम्बर 135 किस्म बारानी जाव 2 में से 85X40 वर्ग फुट भूमि वाके ग्राम रानोता तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान की बाबत तहत अदालत तहसीलदार तहसील कठूमर जिला राजस्थान में एक प्रकरण संख्या 03/प्रार्थनापत्र/2024 अर्न्तगत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया गया। जिस पर तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया, अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस ने तहत अदालत में उपस्थित होकर जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया। तथा बाद बहस उक्त प्रकरण का तहत अदालत द्वारा आलोच्य निर्णय दिनांक 30–12–2024 से निस्तारण किया जाकर असल रैस्पाडैन्ट का उक्त प्रार्थनापत्र विधि विरूद्व व बेजा तरीके पर स्वीकार किया गया हैं। आलोच्य निर्णय न्यायालय तहसीलदार तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान दिनांक 30–12–2024 विधि विरूद्व तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो व कब्जे व मौके व रिकार्ड के खिलाफ होने के कारण निरस्त होने योग्य हैं।

विवादित आराजी खसरा नम्बर 135 किस्म बारानी जाव 2 वाके ग्राम रानोता तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं। मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस ने उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 135 किस्म बारानी जाव 2 में से 85 बाई 40 वर्ग फुट भूमि व खसरा नम्बर 127 रकबा 0.30 हैक्टेयर वाके ग्राम रानोता तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान पर 3 माह पूर्व कोई नाजायज कब्जा नहीं किया हैं, बल्कि मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस का भेड बकरी रखने का गैत गुवाडा करीब 70 साल पूर्व से बना हुआ हैं, जिसकी नपत 25X100 फुट हैं, जिस पर हमारा बुजुर्गो के समय से कब्जा चला आ रहा हैं। दिनांक 17–05–2024 को की गई, पैमायश पटवारी हल्का गलत हैं, व गैरकांनूनी हैं। उक्त पैमायश रिर्पोट हमारी उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर तैयार नही की गई हैं, ना ही मौका रिर्पोट पर हमारे हस्ताक्षर हैं। उक्त रकबा पर हमारा नाजायज कब्जा नही हैं। असल रैस्पाडैन्ट रमेश मीना ने जब अपनी खरीदशुदा आराजी पर मौके पर चारदीवारी की हुई हैं, तथा उस पर पक्का निर्माण कर लिया हैं, तो बाकि बची जमीन से असल रैस्पाडैन्ट रमेश मीना का कोई किसी प्रकार का संबंध, वास्ता, सरोकार व कब्जा ना तो खरीद से पूर्व ना ही कभी खरीद के बाद रहा हैं, असल रैस्पाडैन्ट उक्त रकबा से गैरकाबिज एवं गैरवास्ता हैं। दिनांक 20–07–2024 को असल रैस्पाडैन्ट व मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस के मध्य उक्त रकबा आराजी के बारे में कोई घटना या वार्तालाप किसी प्रकार का नहीं हुआ। जब हमारा कब्जा उक्त रकबा पर बुजुर्गो के समय से करीब 70 वर्ष से से कायम चला आ रहा हैं, तो कब्जा छोडने वाली बात साबित नही होती हैं, बल्कि असल रैस्पाडैन्ट स्वयं मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस के कब्जेशुदा गैत गुवाडा की जमीन को गलत हथकण्डे अपनाकर अपनी खरीदशुदा आराजी की आड में हडपना चाहता हैं। दिनांक 08–07–2024 की कहानी भी गलत दर्ज की गई हैं, उक्त कथित दिनांक को भी मिन

अति. संयुक्त कलक्टर (प्रथम)
कलक्टरेट, अलवर

अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस के मध्य कोई घटना या वार्तालाप कब्जा हटाने बाबत नहीं हुए। उक्त रकबा भूमि पर प्रारम्भ से ही मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस का कब्जा हैं, तथा उनके द्वारा भेड बकरी रखने के गैत गुवाडा के काम लिया जाता हैं। मौके पर वर्तमान में कब्जा मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस का हैं, असल रैस्पाडैन्ट का आज तक कभी कब्जा नही रहा हैं, ना ही वर्तमान में कब्जा हैं। असल रैस्पाडैन्ट अनुसूचित जनजाति की जमीन पर मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस स्वर्ण जाति ने कोई नाजायज कब्जा नही किया हैं। उक्त प्रकरण धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत नही आता हैं। इसलिए असल रैस्पाडैन्ट का उक्त प्रार्थनापत्र मय हर्जा खर्चा सहित खारिज किए जाने योग्य था। परन्तु तहत अदालत ने गौर नही किया। इसलिए आलोच्य निर्णय तहत अदालत निरस्तनीय हैं।

प्रार्थी असल रैस्पाडैन्ट ने तहत अदालत के समक्ष गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया गया। जो मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्ट को उनके कब्जे की भूमि से महरूम करने के लिए मौके के विपरित तथ्य दर्ज करते हुए पेश किया गया हैं। असल रैस्पाडैन्ट को तहत अदालत में उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने के लिए मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस के खिलाफ कोई वादकारण बिनायदावी व बिनायमुखासमत पैदा नही होते हैं। तहत अदालत ने मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस की ओर से पेशकर्दा जवाब प्रार्थनापत्र पर कोई गौर नही किया गया हैं, ना ही उसमें वर्णित तथ्यों का कोई अंकन आलोच्य निर्णय में किया हैं। इसलिए आलोच्य निर्णय तहत अदालत विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरित होने से निरस्तनीय हैं। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर कोई पैमाईश नही की गई हैं, मिन अपीलान्ट व तरतीबी रैस्पाडैन्टस का पुराना भेड बकडी रखने का गैत गुवाडा बना हुआ हैं, जो आराजी खसरा नम्बर 135 का भाग नही हैं, ना ही किसी भूमि पर अतिक्रमण होना प्रमाणित हैं, असल रैस्पाडैन्ट रमेश मीना ने अपनी खरीदशुदा भूमि पर चारदीवारी करके निर्माण किया हुआ हैं, तथा उसमें निवास करता हैं। तहत अदालत में पेशकर्दा समस्त गवाह असल रैस्पाडैन्ट रमेश मीना के रिश्तेदार एवं भतीजा वगैरा हैं, जिन्होने झूठी गवाही दी हैं। तहत अदालत तहसीलदार महोंदय स्वयं द्वारा कोई मौका निरीक्षण नही किया गया हैं। परन्तु तहत अदालत ने कोई गौर नही किया। इसलिए आलोच्य निर्णय तहत अदालत निरस्तनीय हैं।

तहत अदालत ने आलोच्य निर्णय खिलाफ तथ्य, कानून मौका पतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरित निष्कर्ष निकालते हुए पारित किया हैं। इसलिए निरस्तनीयं हैं। तरतीबी रैस्पाडैन्टस तहत अदालत में पक्षकार मुकदमा बनाये गये हैं, जो अपीलान्टस बनकर पैरवी करने में असमर्थ हैं। इसलिए रफाये हुज्जत अपील में तरतीबी रैस्पाडैन्टस पक्षकार मुकदमा बनाया गया हैं।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन हैं, कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय न्यायालय तहसीलदार तहसील कठूमर जिला अलवर राजस्थान दिनांक 30.12.2024 निरस्त फरमाया जावें। खर्चा मुकदमा अपीलान्ट को असल रैस्पाडैन्ट से हरदो अदालत का दिलाया जावें।

वकील रेस्पो0 द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 135 रकवा 0.15 हे० खसरा नम्बर 127 रकवा 0.30 हे० ग्राम रानोता तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त दोनों नम्बरों में से करीब 30 साल पहले सन्नू पुत्र कोठारी मन्नू दत्तक पुत्र श्री पांच्या जाति मीना निवासी रेला तहसील कठूमर से दिनांक 28.10.1995 को जरिये ईकरारनामा पूर्व से पश्चिम 85 फुट तथा उत्तर से दक्षिण 40 फुट जमीन खरीद की थी, तब से आज तक प्रार्थी का उक्त भूमि पर लगातार कब्जा चला आ रहा है। लेकिन अपी0 व तर0 रेस्पो0 ने उक्त भूमि पर जवरन व लट्ठ के बल पर कब्जा कर लिया। प्रार्थी/रेस्पो0 ने इस भूमि की पैमाइस कराने वावत एक प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार कठूमर के समक्ष पेश

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर 18/7/25

किया। तहसीलदार के आदेशानुसार दिनांक 17.5.2024 को मौके पर तहसील के कर्मचारियान ने पैमाइस की जिसमें अप्रार्थीयान का जबर्दस्ती कब्जा करना बताया गया है। पोखर की तरफ जो बाडा दक्षिण में बना है, वह जमीन प्रार्थी/रेस्पो0 की है। पटवारी हल्का द्वारा की गई पैमाइस में अपी0 का कब्जा दिखाया गया है। आराजी खसरा नम्बर 125 किस्म गै०मु० पोखर दर्ज है, जबकि मौके पर चार दीवारी करके घर बना रखा है एवं कुछ जगह धूडे वगैरा को खाली छोड रखी है। रेस्पो0 अनु० जनजाति में मीना जाति के गरीब व्यक्ति है, अपी0 सवर्ण जाति के व्यक्ति हैं। अपी0 का उक्त आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। उक्त जमीन हम रेस्पो0 की कब्जे की है। अनु० जनजाति के व्यक्तियों की कृषि/कब्जे की भूमि पर स्वर्ण जाति के लोगों का कब्जा गैरकानूनी व अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। कानूनन अनु० जनजाति की भूमि पर सवर्ण जाति के व्यक्ति का कब्जा अवैद्य होता है। तहसीलदार कठूमर द्वारा निर्णय दिनांक 30.12.2024 उचित एवं सही पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार कर खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। वकील अपीलाण्ट की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित आराजी खसरा नम्बर 135 रकवा 0.15 हे० खसरा नम्बर 127 रकवा 0.30 हे० ग्राम रानोता तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी जमाबंदी अनुसार अपी0 व अन्य साझीदारों की शामलाती खातेदारी की आराजी दर्ज रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार उक्त विवादित आराजी खसरा नंबर 135 किस्म बारानी जाव–2 मोतीसिंह, रामेश्वर पिता मन्नू, भौरी पत्नी मन्नू हिस्सा 1/2, कन्हैया, गिरधारी, बदनसिंह, रामजीवन पिता सन्नू हिस्सा 1/2 जाति मीना सा0 रेला की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि आ0ख0नं0 135 सन्नू, मन्नू द्वारा अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर रमेश पुत्र लल्लू मीना को विक्रय कर दी गई, जिस पर असल रेस्पो0 रमेश ने वर्तमान में घर बनाया हुआ है। मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 17.05.2024 के अनुसार रमेश के घर के दक्षिण दिशा में कुछ भूमि पर अपी0 हंसराज पुत्र मदनलाल जाति जाट द्वारा तारबंदी कर भेड–बकरियों का बाडा बनाकर कब्जा कर रखा है। रिपोर्ट पटवारी हल्का अर्रूवा एवं पत्रावली के अवलोकन से उक्त आराजी के कुछ हिस्से पर अपीलाण्ट का अवैध कबजा साबित होता है। असल रेस्पोडेण्ट अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है तथा एस.सी/एस.टी. जाति वर्ग की भूमि पर स्वर्ण जाति का कब्जा होने पर धारा 183–बी का स्पष्ट रूप से उल्लंघन साबित होता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर द्वारा धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम क्रा निर्णय परित किया, वह उचित है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर का निर्णय दिनांक 30.12.2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)